न्यायालय श्रीमान् माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू म0प्र0 ग्वालियर

(1) तारावाई पति टोकाराम पुत्र फूलसींग लोधी निवासी हाल मिर्जापुर तह0 देवरी जिला सागर

(2) सिंग्रामसींग तनय कनई लोधी निवासी सेधारा तह0 देवरी जिला सागर

...रिवीजनकर्ता गण

विरूद्ध

(1) भगुन्ती तनय परमानंद
(2) पंखोवाई पति झल्ला
(3) मुलावाई पिता झल्ला
(4) बालकिशन पिता झल्ला
(5) तुलसावाई पिता झल्ला
(6) बुजरानी उर्फ कौसावाई वेवा परमानंद

सभी साकिन जनकपुर उर्फ मिर्जापुर तह0 देवरी जिला सागर

....उत्तरदाता गण

(रिवीजन) निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

यह रिवीजन (निगरानी) न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के द्वितीय अपील प्र0क्र0 282अ/6 वर्ष 92-93 में आदेश दिनांक 18.8.93 में पारित आदेश से दुखित होकर के विरूद्ध निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

(1) यह कि, आवेदक गणो एवं अनावेदक गणो का पारिवारिक संजरा निम्नानुसार है:-

भगोले फौत

- पुत्र परमानंद फौत
  - बुजरानी उर्फ कौसावाई पत्नी
  - भगुन्ती (पुत्र) अनावेदक
- पुत्र झल्ला फौत
  - पंखोवाई (पत्नी)
  - बालकिशन (पुत्र) अनावेदक
    - मुलावाई पुत्री
    - तुलसावाई पुत्री
- पुत्र फूलसींग फौत
  - तारावाई (पुत्री) आवेदिका
- पुत्री गिरजावाई फौत
  - सिंग्रामसींग आवेदक

...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक RN/11-4/ निगरानी 1019 / 1993

ताराबाई आदि विरूद्ध भगुन्ती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–02–19 28/2/2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया। अनावेदक को कई बार सूचना देने के उपरांत कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 282 / अ–6 / 1992–93 में पारित आदेश दिनांक 18–8–1993 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में उठाये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि नामांतरण प्रकरण में वैध वारिसों के संबंध में बिना जांच किये एवं बिना प्रकिया अपनाये तहसलीदार ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण उभय पक्ष को सूचना देने एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा है। दानों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती	

निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदक ने इस निगरानी में ऐसा कोई नये तथ्य पेश नहीं किये हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–1993 स्थिर रखा जाता है।

उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

28/2/2019
(आर.के. जैन)
सदस्य